न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– **हरफूल सिंह यादव (आर0ए0एस0)**
अतिरिक्त जिला कलक्टर, धौलपुर

अपील नम्बर 11/2018

उनवान प्रकरण

रामअवतार पुत्र गुरूदयाल जाति ठाकुर निवासी हरनाथ का नगला पिपरौआ तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

....................अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ जिला धौलपुर

..................रेस्पोडेण्ट

अपील विरुद्व निर्णय दिनांक 15.01.2018
मु0नं0 05/2018 सरकार बनाम रामअवतार
अन्तर्गत धारा 91 एलआरएक्ट न्यायालय
तहसीलदार सैपऊ

उपस्थिति :–

अपीलान्ट की ओर से :– श्री हरिवीर सिंह एडवोकेट
रेस्पोडेण्ट की ओर से :– श्री गोपाल नारायण शर्मा राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांक : 20.06.2018

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा इन तथ्यों के साथ पेश की गई कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट को आराजी खसरा नम्बर 440 रकवा 03 बीधा में से रकवा 10 विस्वा किस्म गैर मुमकिन पोखर, बॉके ग्राम पिपरौआ तहसील सैपऊ में जौ की फसल बोकर सम्बत 2074 रवी में पश्चातवर्ति अतिक्रमी मानते हुये उक्त आराजी से बेदखल कर लगान की 50 गुना शास्त्री अधिरोपित कर 15 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किये जाने का आदेश दिनांक 15.01.2018 को पारित किया हैं जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की तामील अपीलान्ट पर नहीं हुई। नोटिस पर तामील कुनिन्दा द्वारा किसी के फर्जी हस्ताक्षर कराये गये है उन्ही फर्जी हस्ताक्षरो पर अपीलान्ट की तामील मानली है। इस प्रकार अपीलान्ट को सुनवाई व साक्ष्य समाअत करने का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट भूमिहीन कृषक है जिसका विवादग्रस्त आराजी पर 25 वर्ष से अधिक समय से कब्जा है। अपीलान्ट ने विवादग्रस्त आराजी से

अपना कब्जा छोड दिया है एवं भविष्य में कब्जा नहीं करेगा। इस आशय का शपथ पत्र अपील के साथ प्रस्तुत किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का किसी प्रकार पालन नहीं किया है तथा अपीलान्ट को बिना सुने निर्णय पारित किया है जो विधि विरूद्व होने के कारण काबिल निरस्ती है। अपीलान्ट ने अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किये जाने तथा सिविल कारावास की सजा को माफ किये जाने की प्रार्थना की है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर बहस हेतु नियत की गई।

बहस अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील में अंकित बिन्दुओं दोहराते हुये कथन किया कि अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने एक तरफा आदेश पारित किया है। अपीलान्ट ने उक्त विवादित आराजी से अपना कब्जा छोड़ दिया है तथा भविष्य में वह उक्त आराजी पर कब्जा नहीं करेगा वर्तमान में अपीलान्ट का कोई कब्जा नहीं है। उक्त कथनों के समर्थन में अपीलान्ट रामअवतार ने अपना शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में सजा के बिन्दु को माफ़ करने हेतु निवेदन किया।

रेस्पोडेण्ट के विद्वान अभिभाषक पैरोकार सरकार ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि अपीलान्ट बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है। उसके द्वारा इससे पूर्व भी विवादित भूमि पर अतिकमण किया था जिसे बेदखल किया गया था। अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है, वह सही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने अभिभाषक उभयपक्षों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिर्काड का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि अपीलान्ट ने आराजी खसरा नम्बर 440 रकवा 03 बीधा में से रकवा 10 विस्वा किस्म गैर मुमकिन पोखर, बॉके ग्राम पिपरौआ तहसील सैपऊ में जौ की फसल बोकर सम्बत 2074 रवी मे नाजायज अतिकमण किया जाना सावित है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी सावित है कि अपीलान्ट ने इससे पूर्व भीं विवादित आराजी पर अतिकमण किया था तथा बार बार अतिकमण करने का आदि हैं। पुनः नाजायज कब्जा किये जाने पर अतिक्रमी पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी मे आता है।अपीलान्ट ने वहस में यह कथन कियाहै कि आपीलान्ट ने विवादितआराजी से अपना अतिकमण हटा लिया है तथा भविष्य में वह उक्त विवादित आराजी पर अतिकमण नहीं करेगा इस आशय का उसने अपना शपथ पत्र भी इस न्यायालय को प्रस्तुत किया है।

अति0 जिला कलक्टर

अतः तहसीलदार सैपऊ को यह आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलान्ट ने विवादित आराजी से अपना अतिक्रमण हटा लिया तथा भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने बावत तहसीलदार सैपऊ मौके का सत्यापन करने पर अपीलान्ट द्वारा कब्जा छोडना पाते है, सम्बत 2075 में अपीलान्ट का अतिक्रमण नहीं पाया जावे तो तहसीलदार सैपऊ द्वारा प्रकरण संख्या 05/2018 उनवानी सरकार बनाम रामअवतार मे पारित निर्णय दिनांक 15.01.2018 में अपीलान्ट को दी गई 15 दिवस के सिविल कारावास की सजा को माफ किया जाता है शेष निर्णय यथावत रखा जाता है। यदि अपीलान्ट द्वारा विवादित आराजी से कब्जा हटाया नहीं पाया जावे, सम्बत 2075 में अपीलान्ट का कब्जा पाया जावे तो अपीलान्ट के सिविल कारावास की सजा यथावत रहेगी। अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम जी जावें। इस निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावें। बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरफूल सिंह यादव)
अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर (राज0)